



कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर  
प्रसार शिक्षा निदेशालय  
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक /एफ/के.वि.के./ पदमपुर /2024-25/123


दिनांक: 24/08/2024

खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर (राज.) में वर्ष 2024-25 हेतु कृषको व कर्मचारी/अधिकारियों हेतु भोजन एव अल्पाहार कार्य हेतु खुली निविदा आमंत्रित की गई। कार्य की अनुमानित लागत 5,00,000/-रुपये है। निविदा फॉर्म दिनांक 02/9/2024 तक कार्यालय दिवस में दोपहर 12.00 बजे तक 500 रु. नगद/ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए निविदा फॉर्म धरोहर राशि 10,000/- रूपये के ड्राफ्ट (जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है) के साथ दिनांक 02/09/2024 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा करवा सकते है। निविदा उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उपस्थित निविदाताओ के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्तें निविदा फॉर्म के साथ उपलब्ध कराई जावेगी। खुली निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा प्रपत्र वेबसाइट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in), [www.rau.bikaner.org](http://www.rau.bikaner.org) तथा <https://sriganganagar.kvk2.in/> पर देखा तथा डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर को होगा।

UBN No: SKA2425SSOB00056

  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केन्द्र  
पदमपुर



कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर  
प्रसार शिक्षा निदेशालय  
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर पर कृषको/ अधिकारियो/ युवाओ हेतु भोजन एव अल्पाहार कार्यों के लिए जारी खुली निविदा क्रमांक स्थापना / केवीके/ पदमपुर /2024-25/123 दिनांक 24/08/2024 की नियम एव शर्तें निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	संस्था का नाम	कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
1.	कार्य की अनुमानित अवधि	31/8/2025 तक
2.	अनुमानित लागत राशि	5,00,000/- रुपये
3.	धरोहर राशि की प्रकृति एवं राशि	10,000 रुपये/- डिमाण्ड ड्राफ्ट
4.	NIB code	SKA2425A0052

निविदा/कांट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

चाय/नाश्ता/भोजन	मीनू का विवरण	उपलब्ध राशि रुपये/प्रति नग (अधिकतम)
चाय	चाय 125 मिली (एक कप)	10
नाश्ता	समोसा (1 नग)/ कचोरी (1 नग)+मिठाई (100 ग्राम)+ मौसमी फल 1 पीस	40
भोजन- 1	बटर रोटी+दाल/मौसमी हरी सब्जी+सलाद +आचार	100
भोजन- 2	चपाती/पूड़ी+दाल +मौसमी सब्जी+ चावल +सलाद +मिठाई 50 ग्राम + आचार	150
भोजन- 3	बटर रोटी+दाल+मौसमी हरी सब्जी+पनीर की सब्जी+चावल+रायता+सलाद+ आइसक्रीम/मिठाई (100 ग्राम) + आचार	250

**नियम एव शर्त**


- निविदा फॉर्म दिनांक 02/9/2024 तक कार्यालय दिवस में दोपहर 12.00 बजे तक 500 रु. नगद/ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
- भरे हुए निविदा फॉर्म दिनांक 02/09/2024 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा करवा सकते है। निविदा उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उपस्थित निविदाताओ के समक्ष खोली जावेगी।
- यदि किसी कारणवश निविदा खोलने के दिन अवकाश रहता है तो निविदा उसके अगले दिन उसी समय उसी स्थान पर खोली जाएगी।
- इस कार्य की अनुमानित लागत 5,00,000/- रुपये है। अतः निविदादाता को धरोहर राशि 10,000/- रुपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम संलग्न करनी

*Seema*  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केन्द्र  
पदमपुर

अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा फार्म निरस्त माना जायेगा। असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि निविदा के खोलने के बाद 7 दिवस बाद लौटा दी जाएगी।

5. Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान प्रभारी रहेगे।
6. अनुबंध की अवधि 31/8/2025 तक मान्य होगी। परन्तु अधोहस्ताक्षर को पहले निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. निविदा फार्म के साथ फर्म का GST रेजिस्टरड प्रमाण पत्र, FSSAI का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, PAN कार्ड सलग्र करना आवश्यक होगा।
8. जो कार्य आवश्यक समझा जाएगा वही करवाया जावेगा कृषि विज्ञान केंद्र दिए गए सभी कार्य करवाने के लिए बाध्य नहीं होगा।
9. निविदादाता / सेवा प्रदाता को आयकर पेन (PAN) नम्बर, आधार नम्बर व बैंक खाता विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर व सैस की कटौती करने के पश्चात् ही बिल का भुगतान किया जायेगा तथा आयकर रिटर्न भरने का दायित्व निविदादाता का ही होगा।
11. निविदादाता एवं निविदादाता के कर्मचारी या श्रमिक या अन्य निविदादाता के ही सेवक होंगे उनका कृषि विज्ञान केंद्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर या स्वामी केशवानंद राज. कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से कोई संबंध नहीं होगा और ना इस सम्बन्ध में दावा पेश करेगा।
12. निविदादाता को भुगतान सम्पादित किये हुए कार्यों का ही होगा तथा कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।
13. एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा समान प्रतिशत दरे प्राप्त होने पर किसी एक निविदादाता को स्वीकार करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष या कमेटी अध्यक्ष का होगा।
14. निविदादाता मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल चलन का होना चाहिए, जिसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो।
15. निविदादाता द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
16. निविदादाता या श्रमिकों द्वारा केन्द्र के सामान/सम्पति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो निविदादाता के द्वारा हर्जाना देना होगा तथा ऐसे श्रमिक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा।
17. किसी भी शर्त की पूर्णतया पालन न होने पर अनुबंध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता एवं धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में केविके प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र पदमपुर होगा।

क्षेत्र पदमपुर होगा।  
बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।

  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केंद्र  
पदमपुर


20. निविदा में दी गई दरों में काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
21. निविदादाता केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशि भरकर देंगे। अन्य सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करे।
22. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उत्तम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना होगा तथा खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा।
23. प्रशिक्षण के दौरान या शाम के भोजन में जितने प्रशिक्षणार्थी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने की संख्या का ही भुगतान किया जावेगा।
24. खाना व चाय आदि में प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन व कप प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।
25. दोपहर व शाम की सब्जी व दाल अलग अलग होगी।
26. निविदादाता को उपरोक्त मीनू के अनुसार भोजन व्यवस्था करनी होगी।
27. उपलब्ध करवाया गया भोजन व नाश्ता गुणवत्ता का होना चाहिए।
28. डिब्बा बंद भोजन व नाश्ता स्वीकार नहीं किया जायेगा।
29. मैस एवं डायनिंग हॉल की सफाई की ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी।
30. अनाधिकृत व्यक्ति का किसान घर/ कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
31. प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको कार्य आदेश दिये जायेंगे।
32. अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर श्री गंगानगर से "नो ड्यूज" लेना होगा।
33. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जायेगी।
34. सफल निविदादाता द्वारा दी गई दरों के अलावा किसी प्रकार का कर या टेक्स, जी एस टी आदि देय नहीं होगा। सफल निविदादाता द्वारा दी गई दरें सभी टेक्स की साथ ही मानी जाएगी।
35. विवादास्पद मसलें पर विवादास्पद मदों के संबंध में कुल शेष राशि का भुगतान रोका जा सकेगा तथा विवाद निवृत्त होने पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके द्वारा गठित कमिटी द्वारा निर्णय किया जावेगा तथा यदि निविदादाता इस निर्णय से असहमत हैं तो कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके को इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर का निर्णय अंतिम होगा।
36. सफल निविदादाता यदि स्वीकृत कार्य को करने से इंकार करता है या ठेका बीच में छोड़ देता है, तो करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान एवं प्रतिभूत राशि जब्त करके ब्लेक-लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

*Sumit*  
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
 कृषि विज्ञान केन्द्र  
 पदमपुर

37. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार भुगतान नहीं दिया जायेगा तथा स्तोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो राजस्थान सरकार के नियमानुसार कटौती निविदादाता से की जायेगी।
38. किसी भी शर्त की पूर्णतया पालना न होने पर अनुबन्ध किसी भी समय रद्द किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
39. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार / अनुबन्धकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।
40. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई एस आई करवाने / समूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिये केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर की कइ जिम्मेदारी नहीं होगी।
41. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्णपालना हेतु निविदादाता / ठेकेदार उत्तरदायी रहेगा
42. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु कार्यक्रम समन्वयक / वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।
43. कार्य पर उपलब्ध करवाए जाने वाले श्रमिकों की आयु श्रम विभाग की अधिसूचना के अन्तर्गत आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
44. ठेकेदार को विभिन्न कार्यों का समय व दिनांक कार्य विवरण के अनुसार एक दिन पूर्व ही बता दिया जायेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को कार्य का सम्पादन करने की व्यवस्था करनी होगी।
45. किसी भी कार्य के समय पर न होने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उसे नोटिस जारी होने के बाद भी कार्य समय पर न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुये सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी अपने स्तर पर ठेकेदार की दर पर या अधिक दरों पर श्रमिक लगाकर पूर्ण करा लेंगे। जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जाएगा तथा उसे 3 वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
46. किसी भी अपराधिक मामले में लिप्त, नशा किया हुआ अथवा फार्म पर प्रतिबन्धित व्यक्ति को ठेकेदार कार्य पर नहीं लगायेगा।

*Seema*  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केंद्र  
पदमपुर

47. सफल निविदादाता स्वीकृत कार्य करने से इन्कार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जायेगी अथवा निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि एव शेष बिलो का भुगतान नहीं कर जायेगा तथा फर्म एवं व्यक्ति को ब्लैक लिस्टड कर दिया
48. सफल निविदा दाता द्वारा जीएसटी (GST) का बिल देना होगा
49. इस कार्य की अनुमानित लागत 5.00 लाख है अतः धरोहर राशि / अनामत राशि 2 प्रतिशत ( रुपए 10000 /- ) कार्यालय मे भरे हुये निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवानी होगी । बिना धरोहर राशि के प्रपत्र / फार्म / निविदा निरस्त मनी जाएगी । तथा सफल निविदादाता को आदेश जारी होने के 5 दिवस मे दी गई राशि ( 5.00 लाख ) का 3 प्रतिशत राशि (15000/- रुपए ) धरोहर राशि के अतिरिक्त कार्यालय मे कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम से डी.डी. द्वारा जमा करवानी होगी जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
50. निविदादाता को उपरोक्त मीनू के अनुसार भोजन व्यवस्था करनी होगी ।
51. केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण केंद्र पर या जिले के किसी गाँव एव जिले के बाहर के केन्द्रों / गांवों पर प्रशिक्षण के दौरान भोजन व नाश्ता की आपूर्ति करने हेतु बाध्य रहेगा ।
52. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार राशि रू. 100 /- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबंध पत्र कार्यालय आदेश के 5 दिवस मे कार्यालय मे जमा करवाना होगा । संपादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र पर लिखी प्रत्येक शर्त का पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा ।

  
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
 कृषि विज्ञान केन्द्र  
 कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने/हमने निविदा की नियम एव शर्तों को भली भाँति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा मैं/हम इन से शर्तों से पूर्णतया सहमत है ।

यदि मैं/ हम निविदा में दर्शाई गयी शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता /करते है तो हमारी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाए ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम : .....

निविदादाता का पता : .....



कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर  
प्रसार शिक्षा निदेशालय  
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर

वित्तीय निविदाप्रपत्र

1. फर्म का नाम .....
2. निविदा क्रमांक : एफ/के.वि.के./ पदमपुर /2024-25/123 दिनांक: 24/08/2024
3. निविदा धरोवर राशि विवरण : धरोवर राशि 10000 रुपए , ड्राफ्ट न. .... ड्राफ्ट दिनांक  
....., बैंक का नाम एव शाखा (ड्राफ्ट बनाने वाले बैंक)..... जो  
की कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो। (बिना धरोवर राशि के  
निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा)
4. मैं/ हम निम्न दरो पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

चाय/नाश्ता/ भोजन	मीनू का विवरण	उपलब्ध राशि रुपये/प्रति नग (अधिकतम)	निविदादाता द्वारा देय दर (रु)
चाय	चाय 125 मिली (एक कप)	10	
नाश्ता	समोसा (1 नग)/ कचोरी (1 नग)+ मिठाई (100 ग्राम)+ मौसमी फल 1 पीस	40	
भोजन- 1	बटर रोटी+दाल/मौसमी हरी सब्जी+सलाद + + आचार	100	
भोजन- 2	चपाती/पूड़ी+दाल +मौसमी सब्जी+ चावल +सलाद +मिठाई 50 ग्राम + आचार	150	
भोजन- 3	बटर रोटी+दाल+मौसमी हरी सब्जी+पनीर की सब्जी+चावल+रायता+सलाद+ आइसक्रीम/मिठाई (100 ग्राम) + आचार	250	

*Demu*  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केन्द्र  
पदमपुर

निविदादाता/कान्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर व दिनांक

निविदादाता का नाम : .....

निविदादाता का पता : .....

निविदादाता का मोबाईल न. : .....